[2019] 12 एस.सी.आर. 465

मोहम्मद फ़ासरिन

बनाम

राज्य, खुफिया अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 296)

04 सितंबर, 2019

[दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्तिगण]

मादक द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 — धारा 8(ग) सहपठित धारा 29, 21, 23(ग), 27(क) तथा धारा 67 — नारकोटिक्स विभाग के खुफिया अधिकारी को सूचना प्राप्त हुई कि अपीलकर्ता के आग्रह पर 7.4 किलोग्राम हेरोइन टोयोटा क्वालिस वाहन में ले जाई जाएगी — वाहन को जब्त किया गया — अभियुक्त संख्या 2 (सह-अभियुक्त) के कथन के अनुसार, उसने बॉम्बे से 'एम' नामक व्यक्ति से मुलाकात की, जिसने उसे तस्करी का माल सौंपने के बाद कहा कि वह हेरोइन ले जाकर 'एन' नामक व्यक्ति को सौंप दे, जो आगे हेरोइन अपीलकर्ता को सौंपने वाला था — अपीलकर्ता का कथित स्वीकारोक्ति बयान अभियोजन साक्षी-1 द्वारा दर्ज किया गया — अपीलकर्ता को धारा 8(ग) सहपठित धारा 29, 21, 23(ग) तथा 27(क) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया — अभिनिर्धारित : अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप केवल इस आधार पर थे कि 'एम' ने सह-अभियुक्त को बताया था कि उसे अपीलकर्ता को तस्करी का माल सौंपना है — न तो कथित 'एम' और न ही 'एन' का वाद में परीक्षण हुआ और न ही उन्हें अभियुक्त बनाया गया — अतः साक्ष्य की कड़ी पूर्णतः अनुपस्थित है — इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता की कथित स्वीकारोक्ति उसकी गिरफ्तारी के बाद दर्ज की गई — प्रश्न यह है कि क्या एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज कथन को स्वीकारोक्ति बयान माना जा सकता है, भले ही ऐसा कथन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज न किया गया हो — इस प्रश्न को तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य में बड़ी पीठ के समक्ष संदर्भित किया गया है — वर्तमान मामला इस आधार पर आगे बढ़ाया गया कि स्वीकारोक्ति स्वीकार्य है — भले ही उसे स्वीकार्य मान लिया जाए, न्यायालय को यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि वह स्वैच्छिक कथन है, किसी दबाव से मुक्त है तथा यह भी कि

अभियुक्त को स्वीकारोक्ति दर्ज करने से पूर्व उसके अधिकारों से अवगत कराया गया था — इस संबंध में कोई सामग्री अभिलेख पर नहीं लाई गई — विशेष रूप से हिरासत में रहते हुए दर्ज की गई स्वीकारोक्ति एक कमजोर साक्ष्य होती है और उसके समर्थन में कुछ पुष्टिकर साक्ष्य होना आवश्यक है — मात्र दो स्वीकारोक्ति बयानों के अतिरिक्त कोई अन्य स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सह-अभियुक्त के एक कथन और अपीलकर्ता के दूसरे कथन के अतिरिक्त, अभियोजन द्वारा अपीलकर्ता को अपराध के किए जाने से जोड़ने के लिए कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है — सह-अभियुक्त का कथन, जिसे सहायक साक्ष्य बताया गया, वस्तुतः किसी भी भौतिक महत्व का नहीं है — अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त है — विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, दोनों ने अपीलकर्ता को गलत रूप से दोषसिद्ध किया — दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जाते हैं।

साक्ष्य — स्वीकारोक्ति — स्वीकार्यता — विवेचित।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित : 1.1 वर्तमान अपीलकर्ता के संबंध में, यदि इसे साक्ष्य कहा भी जाए, तो एकमात्र साक्ष्य सह-अभियुक्त (अभियुक्त सं. 2) का कथन तथा अपीलकर्ता का स्वयं का कथित स्वीकारोक्ति बयान है। अपीलकर्ता के विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि बॉम्बे के 'एम' से मादक पदार्थ प्राप्त करने के पश्चात सह-अभियुक्त को हेरोइन लेकर उसे 'एन' नामक व्यक्ति को सौंपना था और उक्त 'एन' को आगे वह हेरोइन अपीलकर्ता को सौंपनी थी। न तो बॉम्बे के उक्त 'एम' की इस प्रकरण में जाँच की गई है और न ही 'एन' की, और न ही उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। अतः कड़ी साक्ष्य पूर्णतः अनुपस्थित है। इसके अतिरिक्त, आरोप केवल इस हद तक है कि 'एम' ने सह-अभियुक्त से कहा था कि उसे मादक पदार्थ वर्तमान अपीलकर्ता को सौंपना है, जो कि मात्र सुनी-सुनाई बात के स्वरूप का है। यहाँ तक कि यदि सह-अभियुक्त (ए-2) की स्वीकारोक्ति को भी विचार में लिया जाए, तो उससे केवल यह सिद्ध होता है कि बॉम्बे के 'एम' ने सह-अभियुक्त से कहा था कि 'एन' वर्तमान अपीलकर्ता को मादक पदार्थ सौंप देगा। सह-अभियुक्त का ऐसा साक्ष्य अत्यंत दुर्बल प्रकृति का होता है, जिसे किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा पुष्ट किया जाना आवश्यक होता है। सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति मात्र अन्वेषण एजेंसियों को यह संकेत देती है कि किस प्रकार जाँच की जाए और किन व्यक्तियों के विरुद्ध जाँच की जाए। इसके पश्चात यह अन्वेषण अधिकारियों का दायित्व होता है कि वे उस व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करें जिसका नाम सह-अभियुक्त द्वारा लिया

गया है। वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई पुष्टिकरण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी निर्विवाद है कि अभियोजन साक्षी-1 द्वारा अपीलकर्ता का कथित स्वीकारोक्ति बयान उसकी गिरफ्तारी के पश्चात दर्ज किया गया था। यह प्रश्न कि क्या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज किया गया कथन, भले ही उसे दर्ज करने वाला अधिकारी पुलिस अधिकारी न माना जाए, स्वीकारोक्ति कथन के रूप में समझा जा सकता है या नहीं, इस विषय को तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य के प्रकरण में वृहद् पीठ के समक्ष संदर्भित किया गया है। अतः इस मामले का निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ाया गया है कि कथित स्वीकारोक्ति स्वीकार्य है। किंतु यदि उसे स्वीकार्य मान भी लिया जाए, तब भी न्यायालय को यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि वह स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक है, किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त है तथा स्वीकारोक्ति दर्ज किए जाने से पूर्व अभियुक्त को उसके अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया था। इस प्रकरण में ऐसा कोई भी सामग्री अभिलेख पर नहीं लाई गई है। कोई स्वीकारोक्ति, विशेषकर वह स्वीकारोक्ति जो अभियुक्त की अभिरक्षा में रहते हुए दर्ज की गई हो, साक्ष्य का एक कमजोर प्रकार होती है और उसके समर्थन में सहायक साक्ष्य का होना आवश्यक होता है। सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति, जिसे सहायक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उस पर ऊपर चर्चा की जा चुकी है और वह किसी भी भौतिक मूल्य की नहीं है। अतः सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति और अभियुक्त की अपनी स्वीकारोक्ति—इन दोनों के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है जो अपीलकर्ता को अपराध के घटित होने से जोड़ सके। इसलिए, स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता की वैधानिकता पर विचार किए बिना भी यह माना जाता है कि यदि इन स्वीकारोक्तियों को स्वीकार्य मान लिया जाए, तब भी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। [कंडिका 5-7] [469-एच; 470-ए-एच; 471-ए-सी]

तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य **(2013) 16 एस.सी.सी. 31 : [2013] 9 एस.सी.आर. 962 — संदर्भित।**

<u>नजीर संदर्भ</u>

[2013] 9	**एस.सी.आर. 962**	**—**	**संदर्भित**	**—**	**कंडिका 7**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2014 की आपराधिक अपील संख्या 296

मदुरै पीठ, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 204 सन् 2007 में

दिनांक 19.02.2008 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से : शिखिल सूरी, शिव कुमार सूरी, शिल्पा सैनी, अधिवक्ता।

उत्तरदाता की ओर से : अजीत कुमार सिन्हा, संजय कुमार त्यागी, राजन कुमार चौरसिया, श्रीमती रेखा पांडेय, टी.ए. ख़ान, दिव्यांश राय, बी.वी. बलराम दास, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय **दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया।

1. अभियुक्त की यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 19.02.2008 के फैसले के विरुद्ध है, जिसमें न्यायालय ने मादक द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) के मामलों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में कार्य कर रहे मदुरै के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के दिनांक 16.12.2005 के फैसले को बरकरार रखते हुए अभियुक्त को तीन अन्य लोगों के साथ एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया था। अपीलकर्ता का संबंध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी) के साथ धारा 29, 21, 23(सी) और धारा 27(ए) के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 8(सी) के साथ धारा 27(ए) के तहत दंडनीय अपराध किया था और उसे 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1,50,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया था, और जुर्माना न भरने पर एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। अधिनियम की धारा 27ए के अंतर्गत अपराध अवैध तस्करी के वित्तपोषण और अपराधियों को शरण देने के लिए दंड से संबंधित है और यह इस प्रकार है:

> 27ए. अवैध तस्करी के वित्तपोषण तथा अपराधियों को शरण देने के लिए दंड— जो कोई भी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, धारा 2 के उपधारा (i) से (v) तक में विनिर्दिष्ट किसी भी गतिविधि का वित्तपोषण करता है या खंड (viiiए) के अंतर्गत वर्णित गतिविधियों में संलग्न किसी व्यक्ति को शरण देता है, वह कठोर कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो बीस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, किंतु जो दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
>
> परंतु यह कि न्यायालय, निर्णय में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के

लिए, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी आरोपित कर सकता है।

2. इस अपराध का आवश्यक तत्व यह है कि अभियोजन यह सिद्ध करे कि अभियुक्त ने धारा 2 के उपधारा (i) से (v) तक के खंड (viii ए) में वर्णित किसी भी गतिविधि का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्तपोषण किया है अथवा उक्त गतिविधियों में संलग्न किसी व्यक्ति को शरण दी है। जहाँ तक अभियोजन के मामले का संबंध है, यह केवल वित्तपोषण का मामला है, शरण देने का नहीं।

एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8(ग) इस प्रकार है—

8. कुछ कार्यों का निषेध — कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा—

(क) ....

(ख) ....

(ग) किसी भी मादक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा रखना, विक्रय करना, क्रय करना, परिवहन करना, भण्डारण करना, उपयोग करना, उपभोग करना, अंतर्राज्यीय आयात करना, अंतर्राज्यीय निर्यात करना, भारत में आयात करना, भारत से निर्यात करना अथवा उसका पारगमन करना,

सिवाय चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के तथा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों के प्रावधानों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और सीमा में, और उन मामलों में जहाँ ऐसे किसी प्रावधान द्वारा अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र अथवा प्राधिकरण की अपेक्षा की गई हो, वहाँ ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र अथवा प्राधिकरण की शर्तों एवं नियमों के अनुसार।

परन्तु यह कि, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, गाँजा के उत्पादन के लिए भाँग के पौधे की खेती अथवा गाँजा के उत्पादन, कब्जे, उपयोग, उपभोग, क्रय, विक्रय, परिवहन, भण्डारण, अंतर्राज्यीय आयात तथा अंतर्राज्यीय निर्यात पर चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए लगाया गया निषेध केवल उस तिथि से प्रभावी होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे।

[यह भी उपबंधित है कि इस धारा की कोई बात सजावटी प्रयोजनों के लिए पोस्त के भूसे के निर्यात पर लागू नहीं होगी।]

3. यह मूलतः भारत में आयात करने या भारत से निर्यात करने से संबंधित अपराध है, जो प्रतिबंधित पदार्थ के निर्यात या आयात से जुड़ा है। यद्यपि अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप अंतरराष्ट्रीय तस्करी में वित्तपोषण तथा संलिप्तता के थे, तथापि इस संबंध में वस्तुतः कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है।

4. अब हम इस मामले के निस्तारण हेतु आवश्यक तथ्यों की ओर संदर्भित कर सकते हैं। 04.01.2003 को, खुफिया अधिकारी, नारकोटिक्स विभाग को सूचना प्राप्त हुई कि वर्तमान अपीलकर्ता 7.4 किलोग्राम हेरोइन को टोयोटा क्वालिस वाहन, जिसका पंजीकरण संख्या टी.एन 31 सी 9117 है, में ले जाया जाएगा। इस वाहन को तब अभिग्रहित किया गया जब वह तमिलनाडु के मदुरै–अलगार कोइल रोड पर खड़ा था और उससे 7.4 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। उस समय अभियुक्त संख्या 2 से 6 वाहन में बैठे हुए थे। अभियुक्त संख्या 2 से 4 को एन.डी.पी.एस. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जा चुका है। हमें तब से उनके संबंध में कोई सरोकार नहीं है, और हमारी जानकारी के अनुसार, उनके द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है।

5. जहां तक वर्तमान अपीलकर्ता का संबंध है, एकमात्र साक्ष्य, यदि इसे साक्ष्य कहा जा सकता है, तो सह-आरोपी (आरोपी संख्या 2) का बयान और उसका स्वयं का कथित इकबालिया बयान है। सह-आरोपी के बयान (प्रदर्श. पी41) के अनुसार, सह-आरोपी ने विस्तार से बताया है कि कैसे वह बंबई में मोहम्मद नामक एक अन्य व्यक्ति के संपर्क में आया, जिसने उसे बंबई से मंगलपुरम जाने का निर्देश दिया था। इसके पश्चात् उसे पुनः मंगापुरम स्थित होटल एयरलाइन आने के लिए कहा गया, जहाँ उसकी भेंट बॉम्बे के मोहम्मद से हुई। यह वही मोहम्मद था, बॉम्बे का, जिसने उसे वाहन सौंपा और बताया कि 7.4 किलोग्राम हेरोइन कार की आगे की सीट के नीचे बने एक गुप्त (झूठे) खांचे में 7 पैकेटों में छिपाकर रखी गई है। अपीलकर्ता के संबंध में एकमात्र आरोप यह है कि बॉम्बे के मोहम्मद से प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति लेने के पश्चात्, सह-अभियुक्त को हेरोइन लेकर नल्लियप्पन के पास जाना था। तत्पश्चात् उक्त नल्लियप्पन को हेरोइन को आगे अपीलकर्ता को सौंपना था। न तो बॉम्बे के मोहम्मद और न ही नल्लियप्पन की इस मामले में जाँच की गई है और न ही उन्हें अभियुक्त के रूप में पेश किया गया है। अतः संपर्क-साक्ष्य पूर्णतः अनुपस्थित है। इसके

अतिरिक्त, आरोप का स्वरूप केवल सुनी-सुनाई पर आधारित है, कि बॉम्बे के मोहम्मद ने सह-अभियुक्त को बताया था कि उसे प्रतिबंधित पदार्थ वर्तमान अपीलकर्ता को सौंपना है। यदि हम सह-अभियुक्त हसन मोहम्मद (अभियुक्त–2) के कथन को भी विचार में लें, तो उससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि बॉम्बे के मोहम्मद ने सह-अभियुक्त से कहा था कि नल्लियप्पन उक्त प्रतिबंधित पदार्थ वर्तमान अपीलकर्ता को सौंप देगा। सह-अभियुक्त का यह साक्ष्य अत्यंत दुर्बल प्रकृति का साक्ष्य है, जिसे किसी अन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होती है। सह-अभियुक्त का कथन अन्वेषण अधिकारियों को यह संकेत मात्र देता है कि मामले की जाँच किस प्रकार की जाए और किसके विरुद्ध जाँच की जाए। इसके उपरांत, अन्वेषण अधिकारियों का कर्तव्य होता है कि वे उस व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करें, जिसका नाम सह-अभियुक्त द्वारा लिया गया हो। वर्तमान मामले में ऐसा कोई भी पुष्टि करने वाला साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. इससे हम अपीलकर्ता के उस स्वीकारोक्ति कथन की ओर आते हैं, जिसे पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा दर्ज किया गया। निस्संदेह, यह स्वीकारोक्ति अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के पश्चात् दर्ज की गई थी। वास्तव में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज किया गया कोई कथन, स्वीकारोक्ति कथन के रूप में समझा जा सकता है, भले ही ऐसा कथन दर्ज करने वाला अधिकारी पुलिस अधिकारी के रूप में न माना जाए; इस विषय को तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य[1] के मामले में एक वृहद पीठ के समक्ष संदर्भित किया गया है।

7. अतः, इस मामले के निर्णय के लिए, हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि स्वीकारोक्ति कथन स्वीकार्य है। भले ही वह स्वीकार्य हो, न्यायालय को यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि वह एक स्वैच्छिक कथन है, किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त है तथा यह भी कि स्वीकारोक्ति दर्ज किए जाने से पूर्व अभियुक्त को उसके अधिकारों से अवगत कराया गया था। इस मामले के अभिलेख पर ऐसा कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। यह भी सुविदित है कि कोई स्वीकारोक्ति, विशेषकर जब वह अभियुक्त की अभिरक्षा में दर्ज की गई हो, साक्ष्य का एक दुर्बल प्रकार होती है और उसके लिए कुछ पुष्टि करने वाला साक्ष्य आवश्यक होता है। सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति, जिसे एक पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में कहा गया था, का ऊपर विचार किया जा चुका है और वह किसी भी प्रकार से प्रासंगिक मूल्य की नहीं है। अतः, इन दोनों स्वीकारोक्ति कथनों—एक सह-अभियुक्त का और दूसरा स्वयं

1 (2013) 16 एससीसी 31

अभियुक्त का—के अतिरिक्त, अभियोजन द्वारा अपीलकर्ता को अपराध के घटित होने से जोड़ने हेतु कोई भी साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता की वैधता पर गए बिना, हम यह धारण करते हैं कि भले ही ये स्वीकारोक्तियाँ स्वीकार्य हों, तब भी उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

8. तदनुसार, हम अपील में बल पाते हैं। हम यह घोषित करते हैं कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय—दोनों ने अभियुक्त को गलत रूप से दोषसिद्ध किया है। हम दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त करते हैं। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। अभियुक्त वर्तमान में जमानत पर है। उसके जमानती बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं।

दिव्या पांडेय अपील की अनुमति दी गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।